

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, पटना के निकट बॉक्स कलवर्ट एवं डायवर्जन ड्रेन Toward Bypass (Nandlal Chapra DPS) का निर्माण कार्य कुल राशि ₹103.86407 लाख मात्र पर, योगीपुर नाला के प्रारंभिक बिन्दु से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक (टी.वी. टॉवर डी०पी०एस० एवं बहादुरपुर डी०पी०एस० होते हुए) दीवार की ऊँचाई का निर्माण कार्य कुल राशि ₹133.68500 लाख मात्र पर एवं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, पटना के निकट Main Road बॉक्स कलवर्ट एवं डायवर्जन ड्रेन का निर्माण कार्य कुल राशि ₹85.84523 लाख मात्र पर अर्थात् कुल ₹323.39430 लाख (तीन करोड़ तेईस लाख उनचालिस हजार चार सौ तीस रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2026-27 में तत्काल कुल राशि ₹93.39430 लाख (तिरानवे लाख उनचालीस हजार चार सौ तीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, पटना के निकट बॉक्स कलवर्ट एवं डायवर्जन ड्रेन Toward Bypass (Nandlal Chapra DPS) का निर्माण कार्य कुल राशि ₹103.86407 लाख मात्र पर, योगीपुर नाला के प्रारंभिक बिन्दु से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक (टी.वी. टॉवर डी०पी०एस० एवं बहादुरपुर डी०पी०एस० होते हुए) दीवार की ऊँचाई का निर्माण कार्य कुल राशि ₹133.68500 लाख मात्र पर एवं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, पटना के निकट Main Road बॉक्स कलवर्ट एवं डायवर्जन ड्रेन का निर्माण कार्य कुल राशि ₹85.84523 लाख मात्र पर अर्थात् कुल ₹323.39430 लाख (तीन करोड़ तेईस लाख उनचालिस हजार चार सौ तीस रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या-3699 दिनांक-28.03.2026 द्वारा प्रदान किया गया है।

2. निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में वर्णित योजना के लिए स्तम्भ-6 में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप राशि ₹93.39430 लाख (तिरानवे लाख उनचालीस हजार चार सौ तीस रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष, 2026-27 में सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जा सकती है :-

राशि लाख में

क्र० सं०	योजना का नाम	PL खाता संख्या	HOA संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (राशि लाख रू० में)	तत्काल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
01	नगर निगम, पटना क्षेत्रान्तर्गत भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, पटना के निकट बॉक्स कलवर्ट एवं डायवर्जन ड्रेन Toward Bypass (Nandlal Chapra DPS) का निर्माण कार्य।	PTSPLA006	00-8448-00-120-0014-00-01	103.86407	30.86407	73.00000
02	नगर निगम पटना क्षेत्रान्तर्गत योगीपुर नाला के प्रारंभिक बिन्दु से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक (टी.वी. टॉवर डी०पी०एस०			133.68500	36.68500	97.00000

	एवं बहादुरपुर डी०पी०एस० होते हुए) दीवार की ऊँचाई का निर्माण कार्य।					
03	नगर निगम पटना क्षेत्रान्तर्गत भूतनाथ मेट्रो स्टेशन, पटना के निकट Main Road बॉक्स कलवर्ट एवं डायवर्जन ड्रेन का निर्माण कार्य।			85.84523	25.84523	60.00000
कुल				323.39430	93.39430	230.00000

3. उक्त स्वीकृत **₹93.39430 लाख (तिरानवे लाख उनचालीस हजार चार सौ तीस रुपये)** मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-236, दिनांक-09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको के PL खाता तथा HOA में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जा सकता है।**
4. उक्त स्वीकृत राशि **₹93.39430 लाख (तिरानवे लाख उनचालीस हजार चार सौ तीस रुपये)** मात्र की निकासी माँग संख्या-48, नगर विकास एवं आवास विभाग, मुख्य शीर्ष-2215-जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई, लघु शीर्ष-191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष-0102-नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिये शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड-48-2215021910102, विषय शीर्ष-0102.31.05 सहायता अनुदान से की जा सकती है।
5. बिहार कोषागार सहित के नियम- 286 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496/वि(2), दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-61, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. उक्त राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों, वित्त विभागीय संकल्पों एवं बिहार सरकार के निदेशों के आलोक में किया जा सकता है।
7. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अंकेक्षित लेखा स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-7355वि (2), दिनांक-05.10.2007 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/सड़क-01-21/2026 के पृष्ठ सं०-18/टि० पर दिनांक-20.04.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-19/टि० पर दिनांक-22.04.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-04/सड़क-01-21/2026

14

/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-22.4.26

प्रतिलिपि:—संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/उप सचिव-सह-व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 04 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोकड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।